छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2008
(आषाढ़ - 17, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09 तथा 10 (कुल 08) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 03 एवं 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री चुरावन मंगेशकर तथा श्रीमती (डॉ.) रेणु जोगी अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित प्रश्न एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक-महालेखाकार का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) ,

(2) श्री संजीव शाह, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक-20/सी.एस.ई.आर.सी./2007, दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2007,

(ii) अधिसूचना क्रमांक-21/छ.रा.वि.नि.आ./2007, दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग-प्रथम संशोधन) विनियम 2007,

(iii) अधिसूचना क्रमांक-23/सी.एस.ई.आर.सी./2007, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि-प्रथम संशोधन) विनियम 2007,

(iv) अधिसूचना क्रमांक-24/सी.एस.ई.आर.सी./2007, दिनांक 22 दिसम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण) विनियम 2007,

(v) अधिसूचना क्रमांक-27/सी.एस.ई.आर.सी./2008, दिनांक 7 मई, 2008 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति)(प्रथम संशोधन) विनियम 2008,

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007, तथा

(4) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007

पटल पर रखे ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री उदय मुदलियार , सदस्य ने जिला राजनांदगांव में शासकीय प्राथमिक शालाओं के लिये मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत बर्तन खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नंदकुमार पटेल , सदस्य ने जिला दंतेवाड़ा में नक्सली वारदातों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नंदकुमार पटेल

(2) श्री योगेश्वरराज सिंह

(3) श्री ताम्रध्वज साहू

6. वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 9 जुलाई, 2008 की तिथि निर्धारित की ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

1. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008)
2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008)
3. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008)
4. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने सदन की सहमति से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2008

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) पुरःस्थापित किया ।

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था तथा विद्युत बिलिंग में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

9. सदन को सूचना

उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार वितरण समारोह

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज सायं 7.00 बजे उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार हेतु चयनित विधायकों एवं पत्रकारों को महामहिम राज्यपाल के करकमलों से सम्मानित किऐ जाने के कार्यक्रम की जानकारी दी ।

(1.30 बजे से 3.02 तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा(क्रमशः)

प्रदेश में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था तथा विद्युत बिलिंग में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा पुनः प्रारंभ की ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, सत्यनारायण शर्मा, निर्मल सिन्हा, डॉ.शक्राजीत नायक, विजय अग्रवाल, अमरजीत भगत ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 18, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा